(धारा 129)

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का कुराड़ा — बहक श्री आसाराम
पुत्र श्री मांगरराम
जाति जाट नि. कुराड़ा
मुकदमा नं. 1 /2019 — राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 13/3/19

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत् है कि ग्राम कुराड़ा खसरा नम्बर 330 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री आसाराम पुत्र श्री मांगरराम जाति जाट निवासी कुराड़ा (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ लगा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी को नोटिस शामिल भकाने में निवास करने वाले तामील शुदा प्राप्त अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाकर।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम कुराड़ा ख.न. 330 रकबा 0.02 किस्म गै.मु. रास्ता पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ लगा, कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 25 प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 26/- (रूपये छब्बीस रुपये मात्र) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का कुराड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक जावला एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/19 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2019-20
पंजिका 'ग' जब के पृष्ठ सं. 72
पर क्र.सं. 11 26/- रु. की
मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner